भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1242
03 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: जैविक कृषि को प्रोत्साहन
1242. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसादः
श्री के. गोपीनाथः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) मृदा स्वास्थ्य में सुधार लाने और खेतों को अधिक उर्वर बनाने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;
(ख) किसानों को फसल के चयन, बुआई कार्यक्रम और सिंचाई पद्धतियों के बारे में सुविज्ञ निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें रियल टाईम डाटा प्रदान करने के लिए क्या पहल की गई है;
(ग) कृषि उत्पादकता में सुधार लाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए डाटा ड्राईवन एप्रोच अपनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और
(घ) कृषि के लिए जल उपयोग में दक्षता में सुधार लाने और जल-कुशल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क): सरकार सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओवीसीडीएनईआर) की योजनाओं के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य और जल प्रतिधारण में सुधार के लिए जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। दोनों योजनाएं जैविक खेती में लगे किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणन और विपणन और फसलोपरांत प्रबंधन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तक के लिए शुरू से अंत तक सहयोग पर जोर देती हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 16 राज्यों को कवर करने वाले 20 सहयोगी केंद्रों के साथ जैविक खेती पर अखिल भारतीय नेटवर्क कार्यक्रम (एआईएनपी-ओएफ) संचालित करती है और 76 फसल प्रणालियों के लिए जैविक पद्धतियों का पैकेज विकसित किया है। परिणामों से पता चला है कि मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप पारंपरिक खेती की तुलना में फसल की वृद्धि और उत्पादकता के लिए बेहतर सूक्ष्म वातावरण मिला है। जैविक खेती के तहत मौसम की चरम स्थितियों के प्रति फसलों की बेहतर अनुकूलन भी देखा गया है।

(ख) और (ग): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने विभिन्न डिजिटल पहलों के माध्यम से कृषि हेतु एक खुले स्रोत, खुले मानक और अंतर-संचालन योग्य सार्वजनिक वस्तु के रूप में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के निर्माण के लिए विभिन्न पहल की हैं, जैसे:

एग्रीस्टैक: एग्रीस्टैक पहल के तहत, सरकार ने तीन प्रमुख रजिस्ट्रियों के विकास की पहल की है, अर्थात किसान रजिस्ट्री (किसानों की रजिस्ट्री), भू-संदर्भित गांव के नक्शे (कृषि भूमि के भूखंडों के) और डिजिटल फसल सर्वेक्षण (डीसीएस) के माध्यम से बोई गई फसल की रजिस्ट्री।

डीसीएस से किसी भूमि पर उगाई जा रही फसल और सिंचाई के स्रोतों/तरीकों को कैप्चर करने की सुविधा मिलती है। इससे सरकार को वास्तविक समय के आंकड़ों की जमीनी सच्चाई को समझने में मदद मिलती है, जिससे निम्नलिखित योजना बनाने में मदद मिलती है:- 1. फसल विविधीकरण 2. मिलेट प्रमोशन 3. खरीद योजना 4. जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार हस्तक्षेप की योजना बनाना।

इस परियोजना के अंतर्गत, तर्कसंगत भूमि उपयोग और फसल नियोजन के लिए मानकीकृत मृदा मैपिंग बनाने हेतु विस्तृत मृदा प्रोफ़ाइल अध्ययन किया जा रहा है, जिससे टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिलेगा।

कृषि उत्पादकता में सुधार और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए डेटा आधारित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। इस संबंध में भारतीय कृषि के जलवायु परिवर्तन के जोखिम और भेद्यता का आकलन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि नवाचार (एनआईसीआरए) के तहत किया गया था।

पिछले 10 वर्षों (वर्ष 2014-2024) के दौरान, आईसीएआर द्वारा कुल 2593 किस्में जारी की गई हैं, इनमें से 2177 किस्में एक या एक से अधिक जैविक और/या अजैविक तनावों के प्रति सहनशील पाई गई हैं।

जलवायु परिवर्तन के प्रति किसानों की लचीलापन और अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए, एनआईसीआरए कार्यक्रम के तहत 151 जलवायु संवेदनशील जिलों में 448 जलवायु अनुकूल गांव स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त , जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर सभी हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

(घ): सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत देश में प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना कार्यान्वित कर रही है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई, अर्थात् ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है। सूक्ष्म सिंचाई से पानी की बचत के साथ-साथ उर्वरक के उपयोग में कमी, श्रम व्यय, अन्य इनपुट लागत और किसानों की समग्र आय में वृद्धि में मदद मिलती है। सूक्ष्म सिंचाई की स्थापना के लिए छोटे और सीमांत किसानों के लिए 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

****